न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित तारा चन्द मीणा आई.ए.एस

प्रकरण संख्या 15/2021 अपील (राजस्व)

श्री शंकरलाल पुत्र स्व. श्री चुन्नीलाल चौधरी पताः करणपुर, तहसील वल्लभनगर, जिला–उदयपुर (राज.)

—— अपीलान्ट

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, उदयपुर (राज.)

—— रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर दिनांक 06.01.2020 प्र.स. 661/2020

उपस्थित : श्री सुखलाल मेघवाल, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री कल्पित जैन, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः– 31.01.2023

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनिमय विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर दिनांक 06.01.2020 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पटवार हल्का करणपुर के राजस्व ग्राम रतनपुर की सराय के आराजी संख्या 247, 246 क्षेत्रफल 1.98 हैक्टैयर भूमि को चारागाह के 0.64 पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए रिपोर्ट पेश की, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 06.11.2020 को यह आपत्ति पेश की कि उक्त क्षेत्र का सेटलमेंट अभी अंतिम नहीं हुआ तथा उक्त भूमि नये सेटलमेंट में गलत इन्द्राज व गलत पैमूदगी कर दी गई है। मौके पर ग्राम–करणपुर एवं ग्राम–रतनपुर की सराय का सीमा विवाद है। उक्त आपत्ति का खण्डन पटवारी हल्का एवं अन्य किसी अभिलेख से नहीं हुआ। किन्तु तहसीलदार जी ने उक्त आपत्ति को नजर अन्दाज करते हुए अपीलार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी मानते हुए, लगान का 50 गुणा 3,000/– शास्ती आरोपित कर दिया गया है जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जब तक तनाजा(सीमा विवाद) का समाधान नहीं होता है तब तक कार्यवाही नहीं की जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

सकती। बन्दोबस्त की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। न ही अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हुआ है ऐसीस्थिति में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है, जो आंवटन/नियमन की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने की दशा में पत्रावली को आवंटन कमेटी में विचार के लिए प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जो नहीं कर अपने अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है। आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.03.2021 को पता करने पर हुई तथा प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर दिनांक 12.03.2021 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिससे एवं कोविड काल दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 14.03.2021 तक के समय को अवधि में शुमार नहीं करने के कारण अपील अन्दर अवधि है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि पटवार हल्का करणपुर के राजस्व ग्राम रतनपुर की सराय के आराजी संख्या 247, 246 क्षेत्रफल 1.98 हैक्टैयर भूमि को चारागाह के 0.64 पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए रिपोर्ट पेश की, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 06.11.2020 को यह आपत्ति पेश की कि उक्त क्षेत्र का सेटलमेंट अभी अंतिम नहीं हुआ तथा उक्त भूमि नये सेटलमेंट में गलत इन्द्राज व गलत पैमूदगी कर दी गई है। मौके पर ग्राम–करणपुर एवं ग्राम–रतनपुर की सराय का सीमा विवाद है। उक्त आपत्ति का खण्डन पटवारी हल्का एवं अन्य किसी अभिलेख से नहीं हुआ। किन्तु तहसीलदार जी ने उक्त आपत्ति को नजर अन्दाज करते हुए अपीलार्थी को उक्त भूमि का अतिक्रमी मानते हुए, लगान का 50 गुणा 3,000/– शास्ती आरोपित कर दिया गया है, जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है। जब तक तनाजा(सीमा विवाद) का समाधान नहीं हा जाता तब तक कार्यवाही नहीं की जा सकती। बन्दोबस्त की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है। न ही अधिसूचना का राजपत्र में प्रकाशन हुआ है ऐसीस्थिति में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपीलार्थी एक भूमिहीन काश्तकार है, जो आंवटन/नियमन की पात्रता रखता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार ने अपीलार्थी को अतिक्रमी मानने की दशा में पत्रावली को आवंटन कमेटी में विचार के

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

लिए प्रेषित किया जाना आवश्यक है, जो नहीं कर अपने अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है। आदेश की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 09.03.2021 को पता करने पर हुई तथा प्रतिलिपि हेतु आवेदन कर दिनांक 12.03.2021 को प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिससे एवं कोविड काल दिनांक 15.03.2020 से दिनांक 14.03.2021 तक के समय को अवधि में शुमार नहीं करने के कारण अपील अन्दर अवधि है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ तहसीलदार वल्लभनगर के आदेश को अपास्त फरमाया जावे।

विद्वान पैरोकार सरकार द्वारा उपस्थित होकर अधिवक्ता अपीलाण्ट के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 06.11.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में यह आपत्ति पेश की कि पटवार हल्का करणपुर के राजस्व ग्राम रतनपुर की सराय के आराजी संख्या 247, 246 क्षेत्रफल 1.98 हैक्टैयर का सेटलमेंट अभी अंतिम नहीं हुआ तथा उक्त भूमि नये सेटलमेंट में गलत इन्द्राज व गलत पैमूदगी कर दी गई है। परन्तु ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे यह स्पष्ट हो कि उक्त भूमि अतिक्रमित भूमि नहीं होकर प्रार्थी के मिलकीयत की भूमि हो। सेंटलमेंट की कार्यवाही प्रक्रियाधीन हो नये सेटलमेंट में गलत इन्द्राज एवं गलत पैमूदगी करने बाबत् प्रार्थी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। भूमि वर्तमान रिकार्ड में चरागाह दर्ज है जिसमें राजस्थान काश्ताकारी अधिनियम 1955 की धारा 16(1) के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होगे। तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा पारित किया निर्णय विधिसम्मत होकर उसके किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं होने से अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा विधिवत भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि नये सेटलमेंट में गलत इन्द्राज व गलत पैमूदगी कर दी गई है। मौके पर तनाजा बना हुआ है और ओवरलेपिंग का मैटर होकर वर्तमान में न्यायालय में विचारधीन है, कब्जा नाजायज नहीं होकर उसकी खातेदारी आराजी नंबर 1389 पर है। परन्तु अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह अतिक्रमित भूमि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि साबित होती हो। किसी

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested

व्यक्ति को राजकीय बिलानाम भूमि पर कब्जा करने का अधिकार नहीं हैं। अपने कथनो से ही अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण को साबित किया जा रहा हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय का विनम्र मत है कि अपीलार्थी द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार वल्लभनगर द्वारा अपने प्र.स. 661/2020 में पारित आदेश दिनांक 06.11.2020 से जो आदेश पारित किया गया है वह विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। अपीलाण्ट सेटलमेंट में किसी प्रकार की त्रुटि के संबंध में सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय की प्रति मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर,
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tara Chand Meena
Date: 2023.03.13 16:16:24 IST
Reason: SelfAttested